संख्या-66/2015/2257/सैंतीस-2-2015-1(37)/2014

प्रेषक,

चन्द्र कान्त पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-15 सितम्बर, 2015

विषयः- **पेस्ट डिस पेटिट्स रूमिनेन्ट्स कण्ट्रोल प्रोग्राम (पी.पी.आर.सी.पी.) (100 प्रति0के0पो0) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-367/सा0-1/एक्स-120(168)/पीपीआर-सीपी-सामान्य/2015-16, दिनांक-27.07.2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-आयोजनागत-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-02-राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य तथा रोग नियंत्रण कार्यक्रम-0209-पेस्ट डिस पेटिट्स रूमिनेन्ट्स कण्ट्रोल प्रोग्राम (पी.पी.आर.सी.पी.) (के.100-रा.0/के.) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 हेतु पुनर्वैध किये गये केन्द्रांश रू0-104.00 लाख के सापेक्ष निम्न मानक मदों में प्राविधानित धनराशि में से रू0-104.00 लाख (रूपये एक करोड़ चार लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्न विवरणानुसार श्री राज्यपाल अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन इस शर्त के साथ प्रदान करते हैं कि स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय योजनान्तर्गत उपलब्ध परिव्यय की सीमा तक भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार अनुमोदित मदों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाईन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपलब्ध केन्द्रांश की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा:-

मानक मद	**धनराशि (हजार में)**
04-यात्रा व्यय	250.00
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	250.00
15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	750.00
18-प्रकाशन	500.00
19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	500.00
29-अनुरक्षण	350.00
39-औषधि तथा रसायन	1350.00
42-अन्य व्यय	400.00
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	5900.00
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	100.00
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	50.00
योग-	**10400.00**

(रूपये एक करोड़ चार लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30.03.2015 तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दि0-06.06.1994 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(2) विज्ञापन, प्रकाशन एवं प्रचार-प्रसार के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं सूचना विभाग के निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(3) स्वीकृत धनराशि को आहरण हेतु, यदि जनपद स्तर पर आहरण-वितरण अधिकारी हों, तो संबंधित जनपदों को आवंटित किया जाय तथा विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त आहरण न किया जाय। किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाय तथा इससे व्यय नई मदों में न किया जाय। धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार फेजिंग करते हुए किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद में न व्यय किया जाय, जिसके लिए फाइनेन्शियल हैण्डबुक तथा बजट मैनुअल के नियमों के तहत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाय।

(5) वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

2- इस संबंध में भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रीय सहायता की धनराशि राज्य के प्राप्ति लेखाशीर्षक 1601-केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान-04-केन्द्र द्वारा समर्थित योजनान्तर्गत स्कीमों के लिए अनुदान-800-अन्य अनुदान-15-पशुधन के नामे क्रेडिट की जाएगी।

3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-"2403-पशुपालन-आयोजनागत-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-02-राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य तथा रोग नियंत्रण कार्यक्रम-0209-पेस्ट डिस पेटिट्स रूमिनेन्ट्स कण्ट्रोल प्रोग्राम (पी.पी.आर.सी.पी.) (के.100-रा.0/के.)" की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-ई-2-881/दस-2015, दिनांक-14 सितम्बर, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(**चन्द्र कान्त पाण्डेय**)
विशेष सचिव।

<u>पृ0सं0-66/2015/2257(1)/सैंतीस-2-2015- तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. संयुक्त सचिव, पशुपालन, दुग्ध एवं मत्स्यपालन विभाग, कृषि मँत्रालय, नई दिल्ली।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-2/नियोजन अनु0-3/वित्त संसाधन (केन्द्रीय-सहायता) अनुभाग।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(**रणविजय सिंह**)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in